26

विशेष श्रेणियों के लिए रोजगार सहायता

26.1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही विशेष श्रेणियों की महिलाओं, अ.जाति/अ.जनजाति, विकलांग तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए प्रयास जारी रखे गए हैं।

महिलाएँ

26.2 वर्ष 1999-2004 (जनवरी-अगस्त) के दौरान महिला आवेदकों के संदर्भ में रोजगार कार्यालयों का वर्ष वार क्रियान्वयन **तालिका 26.1** में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

26.3 वर्ष 2002 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रोजगार चाहने के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्यो के निष्पादन का ब्यौरा **तालिका 26.2** में दिया है :-

अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के संबंध में विशेष जानकारी

- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1993 की तुलना में 2002 में 49.7 लाख से बढ़कर 63.5 लाख हो गई, जिससे 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1993 की तुलना में 2002 में 13.33 लाख से बढ़कर 19.47 लाख हो गई।
- वर्ष 2002 के अंत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या कुल संख्या का क्रमश: 15.4 एवं 4.7 प्रतिशत थी।
- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की नियुक्तियों की संख्या 1993 की तुलना में 2002 में 34.9 हजार से घटकर 17.1 हजार रह गई।

अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र

26.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 22 अध्यापान सह मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर में कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक केन्द्र जो जोवई में है अभी भी पूर्ण रुप से कार्यरत होने की प्रक्रिया में है।

इन केन्द्रों के कार्य निम्नलिखित हैं :-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना।
- नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने के समय संभावित परीक्षा के प्रकार/साक्षात्कार का सामना करने और आजीविका की अपेक्षाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- आरक्षित रिक्तियों के प्रति संप्रेषण का परिणाम जानने के लिए नियोजकों के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- रोजगार चाहने वालों के लिए आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसाय मार्गदर्शन और निर्देशन देने के साथ-साथ विकास कार्य संबंधी कार्य करना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना। यह सुविधाएं अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रो में उपलब्ध हैं।
- अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्रो द्वारा दी जा रही सेवाओं की सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। इन निरीक्षणों में तकनीकी निरीक्षणों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं कार्यालय एवं रख-रखाव संबंधी निरीक्षण भी सम्मिलित हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विशेष अध्यापन योजना की विशेषताएं :-

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा दिल्ली एवं गाजियाबाद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समूह'ग' पद के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाओं/ चुनाव परीक्षाओं हेतु एक विशेष अध्यापन योजना चलाई जा रही है।

- अभी तक 21 चरणों तक 6313 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक कार्मिकों ने लिपिक/आशुलिपिक पदों के लिए सफलतापूर्वक अध्यापन पूरा किया। 22वां चरण 01.07.2004 से चल रहा है।
- इस प्रशिक्षण की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को 175 रु० प्रतिमाह की दर से वृतिका प्रदान की जाती है साथ ही, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सीमित लेखन सामग्री भी दी जाती हैं।
- विशेष अध्यापन योजना के फायदों को दृष्टि में रखते हुए यह योजना छः केन्द्रों जो कि कानपुर, कोलकाता, बंगलोर, हैदराबाद, राँची और सूरत में हैं, 1992 से आगे बढ़ा दी गई हैं।
- इस योजना के 9 चरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2021 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। 10वां चरण 01.07.2004 से चालू है।
- आगे यह योजना 1999 से छः अन्य केन्द्रों गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तथा तिरुअनंतपुरम में लागू की गयी एवं 556 विद्यार्थियों ने तीन चरणों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। चौथा चरण 01.07.2004 से चालू है।

विकलांग व्यक्ति

रोजगार कार्यालय

26.5 पहले की तरह ही रोजगार सेवा ने रोजगार चाहने वाले विकलांगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखे।

रोजगार कार्यालयों का विकलांग रोजगार चाहने वालों से संबंधित कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	चालू रजिस्टर
1999	62.7	4.2	455.9
2000	64.7	3.3	485.2
2001	60.1	3.5	510.0
2002	59.4	3.4	532.7

चालू रजिस्टर पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या में अविरोध वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 के दौरान नियोजित विकलांग रोजगार चाहने वालों की संख्या 3.4 हजार थी।

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

- यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यता विकलांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं फिर भी उनके लिए चुनिंदा नियोजन के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई हैं।
- ये विशेष रोजगार कार्यालय उनकी शारीरिक क्षमता एवं मानसिक संभाव्यता के अत्यधिक अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु प्रयास करते हैं।
- इस समय देश में 43 विशेष रोजगार कार्यालय (अगस्त, 2004 की स्थिति के अनुसार) कार्य कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) तथा विशेष रोजगार कार्यालयों के पुनर्गठन पर कार्यबल की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष सैलों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वितपोषित तथा एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ सामान्य रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के लिए 38 विशेष सैलों की स्थापना की गई है।
- ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए खोले गए विशेष सैलों/एककों के अतिरिक्त हैं।

26.6 वर्ष 2002 के दौरान विशेष रोजगार कार्यलयों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

पंजीकरण	11587
नियोजन	982
चालू रजिस्टर	110616

विकलागों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

- श्रम और रोजगार मंत्रालय विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी एवं प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो विकलांगों के कल्याण हेतु प्रमुख मंत्रालय है, से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय नियमित समन्वयन एवं सहयोग करता रह है।
- देश में, अहमदाबाद, मुम्बई, भुवनेश्वर, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, गुवाहाटी, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, अगरतला, पटना, तथा बडोदरा में

17 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर हैं, इनमें से बडोदरा स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र पूर्ण रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केन्द्र विकलागों की कार्यक्षमता का आकलन करते है और उन्हें आवश्यकतानुरुप प्रशिक्षण प्रदान करके उनके शीघ्र आर्थिक पुनर्वास में सहायता करते हैं। उन्हें अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं यथा नौकरी में लगाना, स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा इन प्लांट प्रशिक्षण, प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं।

- मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, त्रिवेन्दम, हैदराबाद तथा कानपुर के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों पर विकलांगों के त्वरित पुनर्वास हेतु 7 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (एसटीडब्लयू) स्थापित की गई है। इन केन्द्रों पर अनौपचारिक रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- चल कैम्पों तथा 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों यथा, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना तथा चेन्नई के अंतर्गत 11 ब्लॉकों में स्थापित ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों (आर.आर.ई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों के लिए भी पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है।

26.7 जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004 के दौरान 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का कार्यनिष्पादन तालिका 26.3 पर दिया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित 7 नए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में से 3 नए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और पद स्वीकृत कर दिए गए हैं।

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

26.8 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों पर विकलांग भूतपूर्व सैनिको/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा रक्षा बल कार्मिकों अथवा रक्षा सेवा कार्मिकों के आश्रितों/मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों अथवा युद्ध में गंभीर रूप से विकलांग कार्मिकों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक सैल की जुलाई,1972 में स्थापना की गई । तदनुरुप, विशेष सेवाओं के लाभ के कार्यक्षेत्र का फरवरी, 1991 से मिलिट्री सेवा में मृत्यु अथवा विकलांगता पर युद्ध और शांति काल के दौरान हुए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ शांति काल में मारे गए अथवा गंभीर रुप से विकलांगों के आश्रितों के लिए भी विस्तार किया गया। अक्तूबर, 2004 के अंत में 214 विकलांग सैनिक तथा 2239 आश्रित, भूतपूर्व सैनिक सैल के माध्यम से रोजगार पाने की प्रतीक्षा में थे।

अल्प संख्यक

- राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण एकजुटता के प्रधानमंत्री के निर्देश को मानते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

- अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल-रोजगार कार्यालय पंजीकरण आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

- कुल मिलाकर दिसम्बर, 2002 के अंत में भारत के सभी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार चाहने वालों की संख्या 59.4 लाख थी । यह चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या का 14.4 प्रतिशत है।

तालिका 26.1

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	महिलाओं का चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर में महिलाओं के चालू रजिस्टर की प्रतिशतता
1999	1616.7	53.0	9932.7	40371.4	24.6
2000	1646.3	35.7	10457.3	41343.6	25.3
2001	1540.8	31.5	10884.8	41995.9	25.9
2002	1343.1	25.9	10649.5	41171.2	25.9
2003	1448.8	26.7	10752.3	41388.7	26.0
2004 (जनवरी-अगस्त	1065.1	15.5	10797.3	40919.7	26.4

तालिका 26.2

(लाख में)

		2001	2002
अनुसूचित जाति	* पंजीकरण	7.60	7.28
	* नियोजन	0.20	0.18
	* चालू रजिस्टर	63.90	63.51
अनुसूचित जनजाति	* पंजीकरण	2.70	2.41
	* नियोजन	0.10	0.08
	* चालू रजिस्टर	19.32	19.47
अन्य पिछड़ी जाति	* पंजीकरण	9.39	8.89
	* नियोजन	0.18	0.13
	* चालू रजिस्टर	81.65	79.05

तालिका 26.3

क* जनवरी-सितम्बर 2004 के दौरान निष्पादन							
क्रस·ं.	विवरण	नेत्रहीन	मूक व बधिर	अस्थि विकलांगता	आंशिक रूप से कुष्ठ रोगी	आंशिक रूप से मंदबुद्धि	योग
1.	2004 के आरम्भ में उम्मीदवारों की संख्या	53	48	210	1	4	316
2.	2004 के दौरान प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	1630	2401	17751	46	464	22292
3.	2004 के दौरान मूल्याँकित उम्मीदवारों की संख्या	1617	2366	17616	46	451	22096
4.	मूल्याँकन पूरा किए बैगेर केन्द्र छोड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या	12	26	161	-	9	208
5.	2004 के अन्त में अभी भी मूल्याँकनाधीन उम्मीदवारों की संख्या (जनवरी-सितम्बर)	54	57	184	1	8	304
6.	2004 के दौरान पुनर्वासित उम्मीदवारों की संख्या (जनवरी-सितम्बर)	520	1024	6216	14	122	7896